अवर न्यायाधीश

सोनपुर, सारण।

हकियत वाद सं0– 343 वर्ष 2006

असरफी महतो व अन्य.....वादीगण

बनाम

रामरूप राय व अन्य.....प्रतिवादीगण

दिनांकः–

06.07.2019

दोनों पक्षों की ओर से पैरवी की गई। वाद वास्ते आवेदन दिनांक 04.12.2018 पर आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 04.12.2018 को इस आशय का दाखिल किया गया कि प्रस्तुत वाद बिक्री पत्र दिनांक 26.03.2019 को जाली, फरेबी घोषित करने के लिए दाखिल किया गया हैं एवं मुदालह सं0 1 एवं 2 ने अपना ब्यान तहरिरी दिनांक 11.04.2007 को दाखिल किया जिसमें तकरारी विवादित प्लॉट सं0 1559 खाता सं0 216 के संबंध में कोई जमाबंदी अंचल कार्यालय में दर्ज होने की बात नहीं कही है, जबकि मुदालह सं0 1 एवं 2 ने दिनांक 27.04.2018 को जमाबंदी सं0 75 एवं जमाबंदी सं0 238 की चर्चा करते हुए आवेदन पत्र दाखिल किया है। एवं दोनों जमाबंदी अभिलेख को मंगाने हेतु न्यायालय में आवेदन दिया है, जबकि मुदालय सं0 1 एवं 2 द्वारा अपने ब्यान तहरिरी में तकरारी जमीन के संबंध में कोई जमाबंदी का नहीं होना कहा गया है। एवं मुदईयान द्वारा अंचल कार्यालय में विवादित प्लॉट सं0 1559 खाता सं0 216 के संबंध में डाक नकल हासिल किया गया है। जिसकी छायाप्रति वादीगण द्वारा अभिलेख दाखिल कर निवेदन किया गया है कि मूल सूची प्रतिलिपि प्रदर्श अंकित होने के समय दाखिल करने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। पुनः यह

कहा गया है कि मुदईयान की गवाही बंद हो चुकी है। एवं निवेदन किया गया है कि उपयुक्त तथ्यों के आलोक में विलंब मानकर मुदईयान के द्वारा जमाबंदी प्रतिवेदन के छायाप्रति को साक्ष्य में स्वीकार करने की कृपा की जाए।

दूसरी तरफ मुदालह सं0 1 एवं 2 द्वारा दिनांक 02.04.2019 को आवेदन दिनांक 04.12.2018 का जवाब दाखिल करते हुए यह कहा गया है कि मुदई का आवेदन खारिज योग्य है, क्योंकि जो बातें मुदई के द्वारा कही गई है वह पूर्णतः गलत है। पुनः यह कहा गया है कि मुदालहगण द्वारा दिनांक 27.04.2018 को न्यायालय में आवेदन दिया गया कि अंचल कार्यालय से जामबंदी सं0 75 एवं जमाबंदी सं0 238 को मंगाया जाए एवं प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में ब्यान तहरिरी में यह कहा है कि मुदईयान के पक्ष में कोई जमाबंदी शुरू से कायम नहीं है। एवं यदि किसी तरह के जमाबंदी से संबंधित साक्ष्य न्यायालय में लाया जाता है तो वह जाली, फरेबी होगा।

वादी के आवेदन दिनांक 04.12.2018 पर दोनों पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि वादी का आवेदन शपथ पत्र द्वारा समर्थित नहीं है। साथ ही वादी का साक्ष्य भी पूर्व में बंद हो चुका है और वादी ने अपने साक्ष्य के दौरान किसी जमाबंदी संबंधी दस्तावेज का कोई जिक्र नहीं किया और न ही कभी कोई दस्तावेज जमाबंदी के संबंध में न्यायालय में प्रस्तुत किया।

वादी द्वारा यह आवेदन इस आशय पर दिया गया है कि उसमें अंचल कार्यालय से जमाबंदी संबंधी दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि प्राप्त किया है, किन्तु इस आवेदन के माध्यम से वे न्यायालय में छायाप्रति दाखिल करने की अनुमति मांग रहे हैं, जबकि उनके पास उक्त दस्तावेज की सच्ची प्रतिलिपि उपलब्ध है।

अतः ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय उन्हें अनुमति दे कि प्राथमिक साक्ष्य के उपलब्ध होने के बावजूद मुदई को न्यायालय में द्वितीयक साक्ष्य लाने की अनुमति दी जाए। वादी इस आवेदन के माध्यम से इस न्यायालय में द्वितीय साक्ष्य को प्रस्तुत करने की अनुमति मांग रहे हैं जो विधिसम्मत नहीं है। अतः उनके आवेदन को खारिज किया जाता है।

वाद अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक–20.07.2019

अवर न्यायाधीश
सोनपुर।